

जनपद बाराबंकी

प्रेस नोट सं0-86

दिनांक- 17.10.2021

थाना मसौली पुलिस द्वारा 12 घण्टे के अन्दर फर्जी लूट का सफल अनावरण, फर्जी लूट की साजिश रचने वाला सेल्समैन को गिरफ्तार कर 01 लाख 79 हजार रुपये शतप्रतिशत बरामद-

वादी श्री अजीत कुमार पुत्र रामदेव निवासी रगड़गंज बाजार थाना तरबगंज जनपद गोण्डा द्वारा थाना मसौली पर सूचना दी गयी कि रामनगर व मैलारायगंज में मेरी शराब की दुकान है। दिनांक-16.10.2021 को शराब बिक्री का करीब 02 लाख रुपये सेल्समैन सोनू यादव पुत्र फौजदार यादव निवासी नारायणीपुरवा थाना रामनगर जनपद बाराबंकी लेकर मेरे पास आ रहा था कि दोपहर में करपिया नहर के आगे दो अज्ञात व्यक्ति जो स्वीफ्ट डिजायर कार से आये और सेल्समैन सोनू यादव से रुपये लूट कर भाग गये। इस सूचना के आधार पर थाना मसौली में मु0अ0सं0-244/2021 धारा 392 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया ।

पुलिस अधीक्षक बाराबंकी श्री यमुना प्रसाद द्वारा घटना का सफल अनावरण कर अभियुक्त की गिरफ्तारी/बरामदगी करने हेतु अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी डॉ0 अवधेश सिंह के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी रामनगर श्री दिनेश कुमार दूबे के पर्यवेक्षण में 03 पुलिस टीमों का गठन किया गया । गठित पुलिस टीम द्वारा मैनुअल इंटेलेजेंस एवं डिजिटल डेटा के एनॉलसिस किया गया एवं थाना मसौली पुलिस टीम द्वारा अथक प्रयास करते हुए आज दिनांक 17.10.2021 को घटना का सफल अनावरण करते हुए फर्जी लूट की घटना दिखाकर रुपये हड़पने वाले सेल्समैन सोनू यादव पुत्र फौजदार यादव निवासी नारायणीपुरवा थाना रामनगर जनपद बाराबंकी को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त उपरोक्त की निशांदाही पर नेवला करसण्डा करपिया के पास से शत प्रतिशत 01,79,460/- रुपये बरामद किया गया । मुकदमा उपरोक्त में धारा 392 भादवि को धारा 408/420/411 भादवि में तरमीम किया गया ।

पूछताछ एवं जांच से प्रकाश में आया कि अभियुक्त सोनू लगभग 03 वर्षों से वादी के शराब की दुकानों पर सेल्समैन का कार्य रहा था और शराब बिक्री के रुपये को लेकर वादी को देने जाता था । सोनू को रूपयों को जरूरत थी तो उसने एक योजना बनाई। योजनानुसार दिनांक-16.10.2021 की दोपहर में शराब बिक्री के 01,79,460/- रूपयों को लेकर आ रहा था तो नेवला करसण्डा करपिया नहर के पास अपनी मोटर साइकिल को सड़क किनारे लॉक कर खड़ी कर दिया और 01,79,460/- रूपयों को वहीं पास में झाड़ियों में छिपा दिया। इसके उपरान्त टेम्पो पर बैठकर 4-5 घण्टे घूमता रहा और शाम को वादी/मालिक को राह चलते व्यक्ति के मोबाइल फोन से उपरोक्त रूपयों के लूटे जाने के सम्बन्ध में बताया। अभियुक्त की निशांदाही पर पुलिस द्वारा रूपयों को बरामद किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -

सोनू यादव पुत्र फौजदार यादव निवासी नारायणीपुरवा थाना रामनगर जनपद बाराबंकी (सेल्समैन)

बरामदगी-

1- 01,79,460/- रूपये (शतप्रतिशत)

पुलिस टीम-

- 1- प्रभारी निरीक्षक श्री सुमित कुमार श्रीवास्तव थाना मसौली जनपद बाराबंकी
- 2- उ०नि० श्री धनीराम वर्मा थाना मसौली जनपद बाराबंकी
- 3- उ०नि० श्री सुधीर कुमार यादव थाना मसौली जनपद बाराबंकी
- 4- हे०का० राम नयन सिंह, का० सचिन कुमार थाना मसौली जनपद बाराबंकी ।